



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268125
CG-DL-E-01122025-268125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5344]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025/अग्रहायण 10, 1947

No. 5344]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/AGRAHAYANA 10, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5527(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पी-ज़ाइलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3929(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5527(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3929(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to p-Xylene (Quality Control) Order, 2021 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5528(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 5436(अ), दिनांक 24 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5528(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 5436(E), dated the 24th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2021, relating to Toluene (Quality Control) Order, 2021 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5529(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 5406(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5529(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 5406(E), dated the 22nd December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 27th December, 2021, relating to Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021 with immediate effect

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5530(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 5405(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5530(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 5405(E), dated the 22nd December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 27th December, 2021, relating to Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5531(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3928(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5531(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section (25) of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3928(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5532(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3932(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/54/2022-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5532(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 3932(E), dated the 13th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, relating to Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2020 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/54/2022-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.